

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 227] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 1980/श्रावण 8, 1902
No. 227] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 1980 /SRAVANA 8, 1902

इस भाग में अन्तिम पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1980

सीमा शुल्क

सा. का. नि. 454(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना

सं. 333-सीमा-शुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 का निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण में “भा. मा. 8170—1979” अक्षरों और अंकों के स्थान पर “भा. मा. 8170—1977” अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 152/फा. सं. 356/2/80-सी. शु. 1]

के. चन्द्रमौली, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 1980

CUSTOMS

G.S.R. 454(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 333-Customs dated the 2nd August, 1976, namely :—

In the Explanation to the said notification, for the letters and figures “IS : 8170—1979”, the letters and figures “IS : 8170—1977” shall be substituted.

[Notfn. No. 152/F. No. 356/2/80-Cus. I]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.